न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 251/2019 निर्णय दिनांक :– 26-11-19

उनवान

1. ग्राम पंचायत आकोडिया, पं.सं. चाकंसू, जयपुर जरिये सरपंच/सचिव
——वादी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर
—— प्रतिवादी

दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजी खसरा नंबर 1538/1 रकबा 1.70 है0 किस्म गैर मु0 आबादी कुल किता 01 कुल रकबा 1.70 है0 वाके ग्रम वाके ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है। जिसको वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी के पुराने खसरा नंबर 1538 जिसमें से आबादी होने के पश्चात उक्त खसरा नंबर के नये नंबर 1538/1 बने जिस पर ग्रामवासी पुख्ता निर्माण कर मकान आदि बना कर रह रहे है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है। विवादित आराजी का वर्तमान नक्शा ट्रेस को भू प्रबन्ध विभाग के

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कर्मचारियों द्वारा. पुराने नक्शा ट्रेस व मौके के अनुरूप नहीं बनाया गया। बल्कि जहां आबादी बसी हुई है वहां मूल खसरा नंबर 1538 की तरमीम की गई है। जो गलत है जिससे दुरूस्त कियें जाना आवश्यक है। वादी उक्त दुरुस्ती को शुद्ध करवाने हेतु तहसील कार्यालय गया। तो उन्होने उक्त तरमीम की दुरूस्ती करने से मना कर दिया तथा मान्य न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया कि मान्य न्यायालय में वाद पेश कर उक्त नक्शे की तरमीम में हुई त्रुटि को सही करावे। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 20.09.2019 को उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 01 भूमि धारी होने से पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ कोई दावे में रिलिफ नहीं चाही गई है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद कि सुनवायी का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को हासिल है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 1538/1 रकंबा 1.70 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1. 70 है0 वाके ग्राम आकोडिया, तहसील जिला जयपुर के वर्तमान नक्शा ट्रेस में हुई तरमीम को मौके के अनुरूप दुरूस्त करावे तथा इसी अनुरुप नक्शा दुरूस्त किया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में फरमाया जावे। दावा वकील वादी ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर तलबी प्रतिवादी संख्या 1 की जारी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि मद संख्या 1 के कम में ग्राम आकोडिया के खसरा नं० 1538/1 रकबा 1.70 है0 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत आकोडिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मद संख्या 2 के कम में पुराने खसरा नं0

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

15380 रकबा 1.90 है0 में से आवंटन से खसरा नं० 1538/1 रकबा 1.70 है0 ग्राम पंचायत आकोडिया व खसरा नं० 1538 रकबा 0.20 है0 चरागाह में है। खसरा नं० 1538/1 में ग्रामवासी पुख्ता मकान बनाकर रह रहे है। जिसके पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है। सम्पूर्ण पट्टे तरमीम से पूर्व जारी किये गये है। मद संख्या 3 के कम में विवादित आराजी की वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम आंवटित नजरी नक्शे के अनुसार ही गई है। पंचायत द्वार तरमीम से पहले ही राजस्थान सरकार के पट्टा वितरण कार्यकम में उक्त खसरा नं0 में पट्टे जारी कर दिये गये। मौके पर उक्त खसरा नं० में आबादी बसी हुई है तथा पुख्ता मकान बने हुए। वादी खसरा नं0 1538 की तरमीम नजरी नक्शे में दक्षिणी कोने में नवीन प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार करवाना चाहता है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। मद संख्या 4 से 8 कानूनी है। मद संख्या 9(क) से 10(ख) माननीय न्यायायल के क्षैत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार अनुसार दावा डिकी किया जाना जाहिर किया। वकील वादी की बहस पर गोर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादीग्रस्त आराजी के पुराने खसरा नम्बर 1538 जिसमें से आबादी होने के पश्चात उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बर 1538/1 बने जिस पर ग्राम वासी पुख्ता निर्माण कर मकान आदि बना कर रहे है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है विवादित आराजी का वर्तमान नक्शा ट्रेस को भू0 प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुराने नक्शा ट्रेस व मौके के अनुरूप नही बनाया बल्कि जहां आबादी बसी हुई ह वहां खसरा नम्बर 1538 की तरमीम की गयी जो गलत है जो जवाब सरकार व रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
26-11-19

पटवारी हल्का के आधार पर दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1538/1 रकबा 1.70 है0 वाके ग्राम आकोडिया तहसील चाकसू के वर्तमान नक्शा ट्रेस में हुई तरमीम को जवाब सरकार रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौके के अनुरूप दुरूस्त की जावे व इसी अनुरूप नक्शा दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
26-11-19

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.12.03 16:44:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: